भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 935#
गुरुवार, 27 जुलाई, 2023/5 श्रावण, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

छोटे होटल व होमस्टे को बढ़ावा दिया जाना

935# श्रीमती महुआ माजी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार झारखंड सहित देश के ऐसे ग्रामीण एवं दुर्गम पहाड़ी इलाकों में, जहां रोजगार के अभाव में महिलाओं और बच्चों की मानव तस्करी होती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्यटन योजनाओं के माध्यम से छोटे होटलों तथा होमस्टे जैसे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना चला रही है या उस पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटन विभाग में पंजीकृत छोटे होटलों तथा होमस्टे का स्थान - वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन के संवर्धन के लिए जिम्मेदार है और अवसंरचना के सृजन, विपणन तथा संवर्धन और पर्यटन संबंधी कौशल विकास पहलों से जुड़ी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करता है जिनका उपयोग झारखंड राज्य सहित होमस्टे और छोटे होटलों के संवर्धन तथा विकास के लिए किया जा सकता है ।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार अपनी स्वैच्छिक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग डाटा (निधि) पोर्टल के माध्यम से झारखंड सहित देश में नई होटल परियोजनाओं और परिचालनरत होटलों की 1-3 श्रेणी के साथ-साथ हेरिटेज होटलों, लिगेसी होटलों, मोटलों और होमस्टे/बेड एंड ब्रेकफास्ट के वर्गीकरण सहित वर्गीकरण/अनुमोदन प्रदान करता है । मंत्रालय द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण और मान्यता उक्त आवास इकाई को विश्वसनीयता प्रदान करती है ।

पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण होमस्टे के संवर्धन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति भी तैयार की है । ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता एवं रोजगार के अवसर सृजित करना इस कार्यनीति के मुख्य

उद्देश्यों में से एक है । इस दस्तावेज में अन्य के साथ-साथ स्व-रोजगार, ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी) जैसी योजनाओं के तहत पात्र ग्रामीण होमस्टे परियोजनाओं और केंद्र तथा राज्य सरकारों के तहत एमएसएमई सेवा उद्यमों के संवर्धन और विकास संबंधी अन्य योजनाओं पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों, झारखंड सहित सभी राज्य सरकारों और औद्योगिक हितधारकों के साथ परामर्श से भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति और रोडमैप भी तैयार किया है। इस कार्यनीतिक दस्तावेज में अन्य के साथ-साथ महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के समन्वयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि महिलाएं ग्रामीण पर्यटन में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा सकें और पर्यटन महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण का माध्यम बन सकें ।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने सेवाप्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत कौशल संबंधी अंतराल के संबंध में इस क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं के मद्देनजर अपने सुधारों के एक भाग के रूप में 150 घंटे के एक होमस्टे पाठ्यक्रम की शुरूआत की है । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य उन महत्वाकांक्षी युवाओं और होमस्टे मालिकों को प्रशिक्षण देना है जिनमें ग्रामीण तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे भारत के पर्यटक स्थलों में होमस्टे व्यवसाय का विकास करने की क्षमता है । यह कार्यक्रम होमस्टे के प्रचालन में व्यावसायिकता की भावना और अत्याधुनिक कौशल सृजित करता है जिसके परिणामस्वरूप पर्यटन उद्योग में बड़ी संख्या में स्थायी मानव संसाधन का सृजन होता है ।

(ख): निधि पोर्टल में पंजीकरण के चरण के दौरान आवासीय इकाईयों को होमस्टे सहित छोटे और बड़े होटलों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है तथापि दिनांक 25.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार निधि पोर्टल में पंजीकृत होमस्टे सहित सभी आवास इकाईयों का राज्य-वार डाटा अनुबंध में दिया गया है ।

*****

अनुबंध

छोटे होटल व होमस्टे को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में दिनांक 27.07.2023 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 935# के भाग (ख) के उत्तर में विवरण

दिनांक 25.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार निधि पोर्टल के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय में पंजीकृत आवास इकाईयों का राज्य-वार डाटा:

राज्य	संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	396
आंध्र प्रदेश	1336
अरुणाचल प्रदेश	482
असम	411
बिहार	1561
चंडीगढ़	126
छत्तीसगढ	230
दिल्ली	452
गोवा	4090
गुजरात	3783
हरियाणा	896
हिमाचल प्रदेश	3402
जम्मू और कश्मीर	608
झारखंड	76
कर्नाटक	713
केरल	2395
लद्दाख	205
लक्षद्वीप	11
मध्य प्रदेश	1760
महाराष्ट्र	4671
मणिपुर	55
मेघालय	267
मिजोरम	131

नागालैंड	49
ओडिशा	1464
पुदुचेरी	298
पंजाब	1039
राजस्थान	3681
सिक्किम	1679
तमिलनाडु	2778
तेलंगाना	623
दादरा और नगर हवेली एवं दमन तथा दीव	244
त्रिपुरा	75
उत्तर प्रदेश	3485
उत्तराखंड	3550
पश्चिम बंगाल	912
कुल योग	47934

*****